

# कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)

फोन नंबर : 0771.2426742, फ़ैक्स नंबर: 0771.2445457  
website : [www.districtcourt-raipur.cg.in](http://www.districtcourt-raipur.cg.in),  
e-mail : [raipur.court@nic.in](mailto:raipur.court@nic.in)

## कार्य वितरण आदेश

कमांक क्यू/एक-2-1/2008,

रायपुर, दिनांक 04 जनवरी, 2025

मैं, बलराम प्रसाद वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.) सिविल जिला रायपुर में न्यायाधीशों के मध्य न्यायिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किए गए समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 8(7) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत एतद्वारा रायपुर सिविल जिला/सत्र खण्ड के न्यायालयों और अधिकरणों के मध्य सिविल, मोटर दुर्घटना दावा, विशेष प्रकरणों, सत्र प्रकरणों, अन्य सिविल एवं दांडिक कार्य एवं आवेदनों (न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) का निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ, जो आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा तथा लंबित सिविल एवं दांडिक मामलों पर इसका प्रभाव नहीं होगा :-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर के न्यायालय

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों के प्रकार
01	02.	03.	04.
01.	श्री बलराम प्रसाद वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.)	सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर	1. सत्र प्रकरण। 2. दांडिक अपील। 3. दांडिक पुनरीक्षण। 4. दांडिक प्रकरणों के अंतरण संबंधी आवेदन। 5. जमानत याचिका अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अपर सत्र न्यायाधीश गरियाबंद को दिये गये क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। 6. अन्य विविध दांडिक प्रकरण। 7. समस्त सिविल वाद, जिनका मूल्यांकन 10,00,000/-रूपये (दस लाख रूपये) से अधिक है तथा उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाही एवं निष्पादन की कार्यवाही। 8. सहकारी समिति अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 9. लोक न्यास अधिनियम 1951 से संबंधित समस्त प्रकरण। 10. व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 एवं प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 से संबंधित समस्त प्रकरण। 11. कंपनी अधिनियम के तहत जिला न्यायाधीश द्वारा विचारण योग्य समस्त मामले (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार दो वर्ष अथवा अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर)। 12. राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 से संबंधित समस्त मामले। 13. धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित समस्त आवेदन। 14. समस्त सिविल प्रकरण, जिसे इस आदेश के माध्यम से किसी अन्य न्यायालय को सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं किया गया है। 15. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी, रायपुर, आरंग एवं तिल्दा के न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत समस्त सिविल अपील और विविध सिविल अपील। 16. छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 से संबंधित समस्त अपीलें (ऐसे मामलों को छोड़कर, जिसका क्षेत्राधिकार जिला न्यायाधीश, गरियाबंद को दिया गया है)। 17. अपमिश्रित औषधी और नकली औषधी अथवा औषधी एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 से संबंधित अपराध के समस्त प्रकरण।

			<p>18. छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 से संबंधित समस्त मामले।</p> <p>19. न्यायिक जिला रायपुर में उच्च न्यायिक स्तर के लिए विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (1963 का 47) एवं विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018 (Special Relief Act, 1963 (47 of 1963) and Special Relief (Amendment) Act, 2018) में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित अनुबंधों का सम्मान (Respect of contracts relating to infrastructure projects) से संबंधित वाद के समस्त प्रकरण।”</p> <p>20. समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।</p> <p>21. विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन की अधिसूचना, पृष्ठांकन क्रमांक 14389/3830/XXI-B/C.G./2023 नया रायपुर, दिनांक 20.12.2023 के अनुसार सिविल जिला रायपुर, बलौदाबाजार— भाटापारा, धमतरी एवं महासमुंद क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जिला न्यायाधीश स्तर से नीचे (व्यवहार न्यायाधीश स्तर) के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित समस्त अपीलीय प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>22. विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन की अधिसूचना, पृष्ठांकन क्रमांक 10059/2991/XXI-B/C.G./2018 नया रायपुर, दिनांक 09.10.2018 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 84 हेतु विशेष न्यायालय।</p> <p>23. विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन की अधिसूचना क्रमांक 4072/3861/C.G./24 नया रायपुर, दिनांक 13.11.24 के अनुसार खदान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 [Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957]] अंतर्गत दायर मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय।</p>
02.	श्री पंकज कुमार सिन्हा विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम)/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर (छ.ग.)	सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर	<p>1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित समस्त दांडिक/विशेष दांडिक प्रकरण, विविध दांडिक मामले एवं जमानत याचिका।</p> <p>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले।</p> <p>3. विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन की अधिसूचना क्रमांक 399 दिनांक 02.05.2024 के अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p>
03.	श्री लीलाधरसाय यादव विशेष न्यायाधीश, (सी.बी.आई.) रायपुर (छ.ग.)	सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले।</p> <p>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक मामले।</p> <p>3. अधिसूचना के अनुसार समस्त सी.बी.आई. मामले।</p> <p>4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</p>
04.	कुमारी मोहनी कंवर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) रायपुर (छ.ग.)	सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले।</p> <p>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</p> <p>4. विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन की अधिसूचना, पृष्ठांकन क्रमांक 4069 दिनांक 25.04.2016 के अनुसार लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन सत्र न्यायाधीश, रायपुर के आदेशानुसार सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>

			5. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 18 (3) के अधीन रायपुर स्थित समस्त थानों के क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों का निराकरण।
05.	<b>श्री अच्छेलाल काष्ठी</b> जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो मामलों की सुनवाई हेतु) रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर</b>	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। 4. विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 11325 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन थाना सिविल लाईन, माना, टिकरापारा, खमतराई, तेलीबांधा, खरोरा, गोलबाजार, पुरानी बस्ती, आमनाका, सिटी कोतवाली, मौदहापारा, डी.डी.नगर, आरंग, पंडरी, मंदिर हसौद थाना क्षेत्र से उद्भूत मामलों का विचारण एवं निराकरण। (गरियाबंद क्षेत्र से उद्भूत मामलो को छोड़कर)
06.	<b>श्री राकेश कुमार सोम,</b> जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो मामलो की सुनवाई हेतु), रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर</b>	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। 4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो मामलो की सुनवाई हेतु) को आंबटित थाना क्षेत्रो को छोड़कर रायपुर राजस्व जिला स्थित शेष समस्त थाना क्षेत्र से उद्भूत लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित मामलों का विचारण एवं निराकरण (गरियाबंद क्षेत्र से उद्भूत मामलो को छोड़कर)। 5. विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन, रायपुर की अधिसूचना पृष्ठांकन क्रमांक 11325 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन सत्र न्यायाधीश, रायपुर के आदेशानुसार सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
07.	<b>श्रीमती निधि शर्मा तिवारी,</b> प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/ विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर</b>	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले। 3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं उससे संबंधित विविध दांडिक प्रकरण एवं जमानत याचिका। 4. विधि एवं विधायी कार्य विभाग छ.ग. शासन, रायपुर की अधिसूचना क्र. 4062 दिनांक 25.04.2016 के अनुसार धारा 135 से 140 एवं 150 विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत रायपुर शहर के समस्त विद्युत प्रकरण। 5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। 6. रजिस्ट्री परिपत्र क्रमांक 9687/दो-6-2/2023 (एमपी/एमएलए)/चेकर बिलासपुर, दिनांक 02.08.2023 के अनुसार सत्र न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय सांसद/विधायकों का प्रकरण। 7. विधि एवं विधायी कार्य विभाग छ.ग. शासन, रायपुर की अधिसूचना क्र. 2742 दिनांक 15.03.2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय अधिनियम, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2016) से संबंधित प्रकरण एवं जमानत याचिका।
08.	<b>श्री विजय कुमार मिंज,</b> द्वितीय जिला एवं अपर सत्र	<b>सिविल जिला रायपुर एवं</b>	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक

	न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.)	सत्र खण्ड रायपुर	मामले। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। 4. विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन की अधिसूचना, पृष्ठांकन क्रमांक 14391/3830/XXI-B/C.G./23 नया रायपुर, दिनांक 20.12.2023 के अनुसार सिविल जिला रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी एवं महासमुंद क्षेत्र से रूपये दस लाख से अधिक पचास लाख तक के आर्थिक मूल्य के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना।
09.	श्री दिलेश कुमार यादव, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर (छ.ग.)	सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। 4. जिला मुख्यालय रायपुर में रिक्त जिला न्यायाधीश अथवा जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायालयों से उद्भूत और संबंधित समस्त सिविल एवं दांडिक कार्य का निराकरण उक्त न्यायालय के रिक्त रहते तक कार्य व्यवस्था में। 5. विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन की अधिसूचना क्रमांक 399 दिनांक 02.05.2024 के अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले एवं गरियाबंद क्षेत्र से उद्भूत एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित मामलों का निराकरण करना।
10.	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), रायपुर (छ.ग.)	सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। 4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये समस्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों का निराकरण। 5. माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक 7123 दिनांक 24.07.2021 के अनुसार तथा केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 27.03.2017 के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित सेशन न्यायालय संपूर्ण राज्य हेतु। 6. विधि एवं विधायी कार्य विभाग रायपुर की अधिसूचना क्र. 4062 दिनांक 25.04.2016 के अनुसार धारा 135 से 140 एवं 150 विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सिविल जिला रायपुर (रायपुर शहर को छोड़कर) समस्त विद्युत प्रकरण। 7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय अधिनियम, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2016) के अधीन मामले।
11.	श्री नरेन्द्र कुमार पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), रायपुर (छ.ग.)	सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। 4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले विद्युत अधिनियम के अधीन मामले।

12.	<b>श्री डमरूधर चौहान</b> षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले।</li> <li>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</li> <li>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</li> </ol>
13.	<b>श्रीमती वंदना दीपक देवांगन,</b> सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले।</li> <li>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</li> <li>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</li> <li>4. माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक 740 दिनांक 22.01.2019 के अनुसार तथा केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 16.10.2018 के अनुसार <b>बेनामी संपत्ति संव्यवहार, प्रतिषेध अधिनियम, 1988</b> के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित सेशन न्यायालय संपूर्ण राज्य हेतु।</li> </ol>
14.	<b>श्री मधुसूदन चन्द्राकर,</b> अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले।</li> <li>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</li> <li>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</li> <li>4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन मामले।</li> <li>5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले विद्युत अधिनियम के अधीन मामले।</li> <li>6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय अधिनियम, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2016) के अधीन मामले।</li> </ol>
15	<b>श्रीमती पल्लवी तिवारी</b> नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले।</li> <li>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</li> <li>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</li> </ol>
16.	<b>श्रीमती किरण थवाईत</b> दशम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रायपुर (छ. ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले।</li> <li>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</li> <li>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</li> <li>4. विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन की अधिसूचना क्रमांक 3820 दिनांक 22.10.2024 के अनुसार एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित मामलों का निराकरण करना (गरियाबंद क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर)।</li> </ol>
17.	<b>श्री अजय कुमार खाखा</b> एकादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले।</li> <li>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</li> <li>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</li> </ol>

18.	<b>श्री दिग्विजय सिंह</b> द्वादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले।</li> <li>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</li> <li>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</li> </ol>
19.	<b>(रिक्त न्यायालय)</b> त्रयोदश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले।</li> <li>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</li> <li>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</li> </ol>
20.	<b>श्रीमती विभा पाण्डेय,</b> चतुर्दश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले।</li> <li>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</li> <li>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</li> </ol>

**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी रायपुर के न्यायालय**

21	<b>श्री गिरीश कुमार मण्डावी</b> मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</li> <li>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</li> <li>3. न्यायिक जिला रायपुर में निम्न न्यायिक स्तर के लिए विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (1963 का 47) एवं विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018 (Special Relief Act, 1963 (47 of 1963) and Special Relief (Amendment) Act, 2018) में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित अनुबंधों का सम्मान (respect of contracts relating to infrastructure projects) से संबंधित वाद के समस्त प्रकरण।</li> <li>4. रजिस्ट्री परिपत्र क्रमांक 9687/दो-6-2/2023 (एमपी/एमएलए)/चेकर बिलासपुर, दिनांक 02.08.2023 के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय सांसद/विधायकों का प्रकरण।</li> <li>5. माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक 10843 दिनांक 05.09.2022 के अनुसार तथा केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 22.08.2022 के अनुसार न्यायिक जिला रायपुर में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280क एवं काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आर्स्टि) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 84 से संबंधित समस्त प्रकरण।</li> </ol>
22	<b>श्री भूपेश कुमार बसंत</b> द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</li> <li>2. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के तहत समस्त मामले। (परिवार न्यायालय को दिये गये क्षेत्राधिकारिता को छोड़कर)</li> <li>3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के पार्ट-10 के तहत समस्त मामले।</li> <li>4. एम.पी. म्युनिसिपल एक्ट, 1925 के तहत समस्त अपील।</li> <li>5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</li> <li>6. रूपये 5,00,001/- से रूपये 10,00,000/- तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल मामले तथा उनसे संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</li> </ol>







60	<b>श्री हर्षवर्धन जायसवाल</b> प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के नवम अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर</b>	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
61	<b>कु. सौम्या राय</b> प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के दशम अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर</b>	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
62	<b>कु. आकांक्षा खलको</b> प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के एकादश अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर</b>	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
63	<b>कु. प्रीति झा</b> प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के द्वादश अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर</b>	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
64	<b>कु. अंकिता यदु</b> प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के त्रयोदश अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर</b>	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
65	<b>कु. श्रद्धा भगत</b> प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के चतुर्दश अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर</b>	<b>प्रशिक्षु न्यायाधीश</b>
66	<b>कु. प्रगति गुर्दे</b> प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के पंचदश अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)	<b>सिविल जिला रायपुर</b>	<b>प्रशिक्षु न्यायाधीश</b>

### गरियाबंद के न्यायालय

67	<b>श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन,</b> जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गरियाबंद (छ.ग.)	<b>गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, देवभोग एवं राजिम तहसील</b>	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले। 2. थाना बिन्द्रा-नवागढ़, गरियाबंद, देवभोग, राजिम, फिंगेश्वर, छुरा, शोभा, पीपरछेड़ी, इंदागांव, पायलीखण्ड (जुगाड़), अमलीपदर, अटरमरा (पाण्डुका) एवं मैनपुर से उद्भूत अंतर्गत धारा 438 एवं 439 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत समस्त जमानत याचिका। 3. 10,00,000/-रुपये से अधिक के मूल्यांकन के समस्त सिविल प्रकरण एवं उससे उद्भूत तथा संबंधित एम.जे.सी. एवं निष्पादन कार्यवाहियों। 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा विचारण योग्य समस्त मामले। 5. प्रांतीय दीवाला अधिनियम के तहत समस्त मामले। 6. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/कनिष्ठ श्रेणी गरियाबंद, राजिम एवं देवभोग द्वारा पारित निर्णय/डिक्री एवं आदेश के विरुद्ध छ.ग. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 31 के तहत समस्त अपील। 7. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं दो, गरियाबंद, राजिम एवं देवभोग के द्वारा पारित निर्णय/डिक्री एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपीलें। 8. थाना बिन्द्रा-नवागढ़, गरियाबंद, देवभोग, राजिम, फिंगेश्वर, छुरा, शोभा, पीपरछेड़ी, इंदागांव, पायलीखण्ड (जुगाड़), अमलीपदर, अटरमरा (पाण्डुका) एवं मैनपुर से उद्भूत मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 164 (ए), 166 एवं 140 के तहत मोटर दुर्घटना दावा एवं संबंधित कार्यवाहियों। 9. भू अर्जन अधिनियम से संबंधित समस्त मामले। 10. हिन्दू विवाह अधिनियम से संबंधित समस्त मामले।
----	--	---	---

			<p>11. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी / न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी गरियाबंद, देवभोग एवं राजिम द्वारा पारित निर्णय / दंडादेश एवं आदेश से उद्भूत प्रस्तुत समस्त दांडिक अपील एवं पुनरीक्षण।</p> <p>12. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</p> <p>13. जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत द्वारा 10,00,000/-रूपये से अधिक के मामलों में पारित निर्णय / डिक्री का निष्पादन।</p> <p>14. थाना गरियाबंद, देवभोग, मैनपुर, फिंगेश्वर, छुरा, पीपरछेड़ी, इंदागांव, पायलीखण्ड (जुगाड़), शोभा, अमलीपदर, बिन्द्रा-नवागढ़, अटरमारा (पाण्डुका) एवं राजिम से उद्भूत समस्त सत्र प्रकरण।</p>
68	<b>श्री यशवंत वासनीकर</b> जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एवं बलात्कार से संबंधित मामले), गरियाबंद (छ.ग.)	राजस्व जिला गरियाबंद एवं उक्त क्षेत्र में स्थित के समस्त थाना क्षेत्र	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण एवं विविध दांडिक मामलें।</p> <p>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सौंपे गये समस्त अन्य कार्य।</p> <p>3. राजस्व जिला गरियाबंद क्षेत्र से उद्भूत लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराध तथा बलात्कार से संबंधित समस्त मामलें, जो रायपुर या गरियाबंद के अन्य न्यायालयों को प्रदान नहीं किये गये हैं।</p>
69	<b>श्रीमती अनिता ध्रुव</b> मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, गरियाबंद (छ.ग.)	<b>गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, देवभोग एवं राजिम तहसील (अन्य व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी को दिये गये क्षेत्राधिकार को छोड़कर)</b>	<p>1. रूपये 10,00,000/- तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल मामले एवं उनसे उद्भूत तथा संबंधित एम.जे.सी. एवं निष्पादन कार्यवाहियों।</p> <p>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के पार्ट-10 तथा गार्जियन एंड वॉर्ड एक्ट के तहत समस्त मामले।</p> <p>4. एम.पी. म्युनिसिपल एक्ट, 1925 के तहत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 द्वारा विचारण योग्य समस्त अपील।</p> <p>5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</p> <p>6. जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत द्वारा 10,00,000/-रूपये तक के मूल्य के पारित निर्णय / डिक्री का निष्पादन।</p> <p>7. रजिस्ट्री परिपत्र क्रमांक 9687/दो-6-2/2023 (एमपी/एमएलए)/चेकर बिलासपुर, दिनांक 02.08.2023 के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय सांसद/विधायकों का प्रकरण।</p> <p>8. माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक 10843 दिनांक 05.09.2022 के अनुसार तथा केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 22.08.2022 के अनुसार न्यायिक जिला गरियाबंद में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280क एवं काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 84 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p>
70	<b>श्री प्रशांत कुमार देवांगन</b> व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, गरियाबंद (छ.ग.)	<b>गरियाबंद तहसील</b>	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>2. रूपये 5,00,000/- तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल मामले एवं उनसे उद्भूत तथा संबंधित एम.जे.सी. एवं निष्पादन कार्यवाहियों।</p> <p>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</p> <p>4. जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत द्वारा 5,00,000/-रूपये तक के मूल्य के मामलों में पारित निर्णय / डिक्री का निष्पादन।</p>
<b>राजिम के न्यायालय</b>			
71	<b>श्री सचिन पॉल टोप्पो</b> प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, रायपुर के अति. न्यायाधीश स्थान राजिम (छ.ग.)	<b>राजिम तहसील</b>	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>2. रूपये 10,00,000/- तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल मामले एवं उनसे उद्भूत तथा संबंधित एम.जे.सी. एवं निष्पादन कार्यवाहियों।</p>

			<p>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</p> <p>4. जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत द्वारा 10,00,000/-रूपये तक के मूल्य के मामलों में पारित निर्णय/ डिक्री का निष्पादन।</p>
<b>देवभोग के न्यायालय</b>			
72	कु. किरण पन्ना व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, देवभोग (छ.ग.)	देवभोग तहसील	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>2. रूपये 5,00,000/- तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल मामले एवं उससे उदभूत तथा संबंधित एम.जे.सी. एवं निष्पादन कार्यवाहियों सहित।</p> <p>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</p> <p>4. जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत द्वारा 5,00,000/-रूपये तक के मूल्य के मामलों में पारित निर्णय/ डिक्री का निष्पादन।</p>
<b>तिल्दा के न्यायालय</b>			
73	श्री भावेश कुमार वट्टी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, रायपुर के अति. न्यायाधीश स्थान तिल्दा (छ.ग.)	तिल्दा तहसील	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>2. रूपये 10,00,000/- तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल मामले एवं उससे उदभूत एवं संबंधित एम.जे.सी. एवं निष्पादन कार्यवाहियों।</p> <p>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</p> <p>4. जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत द्वारा 10,00,000/-रूपये तक के मूल्य के मामलों में पारित निर्णय/ डिक्री का निष्पादन।</p>
74	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, आरंग (छ.ग.)	आरंग तहसील	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>2. रूपये 5,00,000/- तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल मामले एवं उससे उदभूत तथा संबंधित एम.जे.सी. एवं निष्पादन कार्यवाहियों सहित।</p> <p>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।</p> <p>4. जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत द्वारा 5,00,000/-रूपये तक के मूल्य के मामलों में पारित निर्णय/ डिक्री का निष्पादन।</p>

### **आवश्यक निर्देश**

(1) निम्नलिखित न्यायालयों को माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 एवं 36 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने और विधिवत सुनवाई करने हेतु अधिकृत किया जाता है -

स.क.	न्यायालय का नाम	फायनेंस कंपनी का नाम
1	प्रथम जिला न्यायाधीश, रायपुर	एच.डी.बी. फायनेंस सर्विसेस लिमिटेड मैग्मा फिनकोर्प लिमिटेड महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फायनेंसियल सर्विसेस
2	द्वितीय जिला न्यायाधीश, रायपुर	श्री राम ट्रांसपोर्ट एण्ड फायनेंस श्री राम इनवेस्टमेंट एण्ड फायनेंस श्री राम सिटी युनियन फायनेंस श्री राम इक्वामेन्ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड
3	तृतीय जिला न्यायाधीश, रायपुर	कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड ए.यू. फायनेंस इंडिया लिमिटेड एल एण्ड टी फायनेंस कंपनी लिमिटेड
4	चतुर्थ जिला न्यायाधीश, रायपुर	एक्सिस बैंक लिमिटेड एक्वाटास स्मॉल बैंक फायनेंस एच.डी.एफ.सी बैंक टाटा मोटर्स फायनेंस लिमिटेड
5	अष्टम जिला न्यायाधीश, रायपुर	मेसर्स इंडिया इंको लाईन फायनेंस लिमिटेड सिटीकोर्प फायनेंस इंडिया लिमिटेड इंडसइंड बैंक लिमिटेड

6	नवम जिला न्यायाधीश, रायपुर	रेलीगियर फायनेंस कंपनी इंडियाबुल्स हॉउसिंग फायनेंस लिमिटेड बजाज फायनेंस लिमिटेड चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कंपनी लिमिटेड अन्य कंपनी जिसका उल्लेख किसी अन्य न्यायालय के समक्ष अंकित नहीं हैं। अन्य प्रकरण जो किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं।
---	----------------------------	---

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यवहार अपील क्रमांक 9322/2022 (एसएलपी (सी) क्रमांक 32448/2018 से उत्पन्न) "गोहर मोहम्मद बनाम यूपीएसआरटीसी" की पैरा 62 (iii) एवं (iv) में दिये गये निर्देश के अंतर्गत IAR (Interim Accident Report) और DAR (Detailed Accident Report) में दर्ज प्राथमिकी को नियत समय में निम्नलिखित दावा अधिकरणों में प्रस्तुति एवं विधि अनुसार कार्यवाही हेतु निम्न आरक्षी केन्द्र को संलग्न किया जाता है :-

स.क्र.	दावा अधिकरण का नाम	आरक्षी केन्द्र का नाम
1.	मुख्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर	राजस्व जिला रायपुर के समस्त आरक्षी केन्द्र
2.	अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गरियाबंद	राजस्व जिला गरियाबंद के समस्त आरक्षी केन्द्र

### अत्यावश्यक कार्य के संबंध में निर्देश

(1) किसी विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) के अवकाश में होने, स्थानांतरित हो जाने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर माननीय रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक 15250/D&A/2023 बिलासपुर, दिनांक 23/11/2023 के परिप्रेक्ष्य में "The Concerned Link Judicial Officer will take-up not only urgent cases of that court, but also take up the cases in which witnesses have come to record their evidence, if possible, and if not possible they will be bound over and given next date of not later than 3 days from the date of joining of the Presiding Officer considering the judicial diary of that court and bound the witnesses except the official witnesses, and in case the Link Judicial Officer is also on leave. Apart from urgent cases and cases in which witnesses have come, all Civil and Criminal Cases of the Court will be taken by the link Judicial Officer and will be fixed for hearing/for the purpose for which it is already listed without fail. If for any reason it is not possible for the link Judicial Officer to hear the case, it will be adjourned not later than three days from the date of joining of the Judicial Officer considering the judicial diary of that Court and in no case it will be adjourned by the reader." के पालन हेतु निम्नानुसार लिंक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

स.क्र.	अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश का नाम	सरल क्रमांक-2 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायाधीश	सरल क्रमांक-3 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायाधीश	सरल क्रमांक-4 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायाधीश
1.	2.	3.	4.	5.
1.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
2.	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
3.	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
4.	अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर

(2) किसी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) के अवकाश में होने, स्थानांतरित हो जाने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर माननीय रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक 15250/D&A/2023 बिलासपुर, दिनांक 23/11/2023 के परिप्रेक्ष्य में "The Concerned Link Judicial Officer will take-up not only urgent cases of that court, but also take up the cases in which witnesses have come to record their evidence, if possible, and if not possible they will be bound over and given next date of not later than 3 days from the date of joining of the Presiding Officer considering the judicial diary of that court and bound the

witnesses except the official witnesses, and in case the Link Judicial Officer is also on leave. Apart from urgent cases and cases in which witnesses have come, all Civil and Criminal Cases of the Court will be taken by the link Judicial Officer and will be fixed for hearing/for the purpose for which it is already listed without fail. If for any reason it is not possible for the link Judicial Officer to hear the case, it will be adjourned not later than three days from the date of joining of the Judicial Officer considering the judicial diary of that Court and in no case it will be adjourned by the reader.” के पालन हेतु निम्नानुसार लिंक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

स.क.	अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश का नाम	सरल क्रमांक-2 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायाधीश	सरल क्रमांक-3 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायाधीश
1.	2.	3.	4.
1.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पाक्सो मामलों की सुनवाई हेतु), रायपुर	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पाक्सो मामलों की सुनवाई हेतु), रायपुर	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.), रायपुर
2.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पाक्सो मामलों की सुनवाई हेतु), रायपुर	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पाक्सो मामलों की सुनवाई हेतु), रायपुर	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.), रायपुर
3.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पाक्सो मामलों की सुनवाई हेतु), रायपुर	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पाक्सो मामलों की सुनवाई हेतु), रायपुर
4.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय, गरियाबंद	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पाक्सो मामलों की सुनवाई हेतु), रायपुर	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पाक्सो मामलों की सुनवाई हेतु), रायपुर

(3) किसी विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के अवकाश में होने, स्थानांतरित हो जाने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर माननीय रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक 15250/D&A/2023 बिलासपुर, दिनांक 23/11/2023 के परिप्रेक्ष्य में “The Concerned Link Judicial Officer will take-up not only urgent cases of that court, but also take up the cases in which witnesses have come to record their evidence, if possible, and if not possible they will be bound over and given next date of not later than 3 days from the date of joining of the Presiding Officer considering the judicial diary of that court and bound the witnesses except the official witnesses, and in case the Link Judicial Officer is also on leave. Apart from urgent cases and cases in which witnesses have come, all Civil and Criminal Cases of the Court will be taken by the link Judicial Officer and will be fixed for hearing/for the purpose for which it is already listed without fail. If for any reason it is not possible for the link Judicial Officer to hear the case, it will be adjourned not later than three days from the date of joining of the Judicial Officer considering the judicial diary of that Court and in no case it will be adjourned by the reader.” के पालन हेतु निम्नानुसार लिंक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

स. क्र.	अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश का नाम	सरल क्रमांक-2 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायाधीश	सरल क्रमांक-3 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायाधीश	सरल क्रमांक-4 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायाधीश
1.	2.	3.	4.	5.
1.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर

2.	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
3.	अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
4.	अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर

- (4) किसी विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) के अवकाश में होने, स्थानांतरित हो जाने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर माननीय रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक 15250/D&A/2023 बिलासपुर, दिनांक 23/11/2023 के परिप्रेक्ष्य में "The Concerned Link Judicial Officer will take-up not only urgent cases of that court, but also take up the cases in which witnesses have come to record their evidence, if possible, and if not possible they will be bound over and given next date of not later than 3 days from the date of joining of the Presiding Officer considering the judicial diary of that court and bound the witnesses except the official witnesses, and in case the Link Judicial Officer is also on leave. Apart from urgent cases and cases in which witnesses have come, all Civil and Criminal Cases of the Court will be taken by the link Judicial Officer and will be fixed for hearing/for the purpose for which it is already listed without fail. If for any reason it is not possible for the link Judicial Officer to hear the case, it will be adjourned not later than three days from the date of joining of the Judicial Officer considering the judicial diary of that Court and in no case it will be adjourned by the reader." के पालन हेतु निम्नानुसार लिंक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा उक्त तीनो विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) के अवकाश या अनुपस्थिति में उनका अत्यावश्यक कार्य वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, जो मुख्यालय रायपुर में उपस्थित हों, के द्वारा निष्पादित किया जावेगा :-

स.क्र.	अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश का नाम	सरल क्रमांक-2 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायाधीश	सरल क्रमांक-3 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायाधीश
1.	2.	3.	4.
1.	दशम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), रायपुर
2.	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), रायपुर	दशम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
3.	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), रायपुर	दशम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर

- (5) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश या किसी अन्य कारण से अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन की अधिसूचना, पृष्ठांकन क्रमांक 14389/3830/XXI-B/C.G./2023 नया रायपुर, दिनांक 20.12.2023 के अनुसार सिविल जिला रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी एवं महासमुंद क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जिला न्यायाधीश स्तर से नीचे (व्यवहार न्यायाधीश स्तर) के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित अपीलीय विशेष न्यायालय के रिक्त रहने या पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में, जैसा भी प्रकरण हो, सभी मामलों में अत्यावश्यक आवेदन, यदि कोई दायर किया गया है, की सुनवाई जिला मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

- (6) **विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज)** के अवकाश या अनुपस्थिति में अत्यावश्यक कार्य का निष्पादन सत्र न्यायाधीश द्वारा तथा सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अपर सत्र न्यायाधीश, जो मुख्यालय रायपुर में उपस्थित हों, के द्वारा निष्पादित किया जावेगा।
- (7) **विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.)** के अवकाश या अनुपस्थिति में उनका अत्यावश्यक कार्य वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, जो मुख्यालय रायपुर में उपस्थित हों, के द्वारा निष्पादित किया जावेगा।
- (8) **विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.)** के अवकाश या अनुपस्थिति में उनका अत्यावश्यक कार्य वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, जो मुख्यालय रायपुर में उपस्थित हों, के द्वारा निष्पादित किया जावेगा।
- (9) **अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.)** रायपुर के अवकाश या अनुपस्थिति में उनका अत्यावश्यक कार्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पाक्सो मामलों की सुनवाई हेतु), रायपुर के द्वारा तथा उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पाक्सो मामलों की सुनवाई हेतु), रायपुर तथा उनकी अनुपस्थिति में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, के द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
- (10) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन की अधिसूचना, पृष्ठांकन क्रमांक 14391/3830/XXIB/C.G./23 नया रायपुर, दिनांक 20.12.2023 के अनुसार **सिविल जिला रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी एवं महासमुंद क्षेत्र** से रूपये दस लाख से अधिक पचास लाख तक के आर्थिक मूल्य के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित प्रकरण के निराकरण हेतु उक्त विशेष न्यायालय के रिक्त रहने या पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में, जैसा भी प्रकरण हो, सभी मामलों में अत्यावश्यक आवेदन, यदि कोई दायर किया गया है, की सुनवाई जिला मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।
- (11) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन की अधिसूचना, पृष्ठांकन क्रमांक 14391/3830/XXIB/C.G./23 नया रायपुर, दिनांक 20.12.2023 के अनुसार **सिविल जिला रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी एवं महासमुंद क्षेत्र** से रूपये तीन लाख से दस लाख तक के आर्थिक मूल्य के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित प्रकरण के निराकरण हेतु उक्त विशेष न्यायालय के रिक्त रहने या पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में, जैसा भी प्रकरण हो, सभी मामलों में अत्यावश्यक आवेदन, यदि कोई दायर किया गया है, की सुनवाई जिला मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी द्वारा की जाएगी।
- (12) **चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002), रायपुर (छ.ग.)** के अवकाश या अनुपस्थिति में उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों (जमानत आदि) से उत्पन्न होने वाले किसी भी जरूरी मामले की सुनवाई, सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में, रायपुर में वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में, रायपुर में उपलब्ध अगले वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।
- (13) न्यायिक अधिकारी के अवकाश में होने, स्थानांतरित हो जाने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर माननीय रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक 15250/D&A/2023 बिलासपुर, दिनांक 23/11/2023 के परिप्रेक्ष्य में "The Concerned Link Judicial Officer will take-up not only urgent cases of that court, but also take up the cases in which witnesses have come to record their evidence, if possible, and if not possible they will be bound over and given next date of not later than 3 days from the date of joining of the Presiding Officer considering the judicial diary of that court and bound the witnesses except the official witnesses, and in case the Link Judicial Officer is also on leave. Apart from urgent cases and cases in which witnesses have come, all Civil and Criminal Cases of the Court will be taken by the link Judicial Officer and will be fixed for hearing/for the purpose for which it is already listed without fail. If for any reason it is not possible for the link Judicial Officer to hear the case, it will be adjourned not later than three days from the date of joining of the Judicial Officer considering the judicial diary of that Court and in no case it will be adjourned by the reader." के पालन हेतु निम्नानुसार **लिंक न्यायिक अधिकारी** नियुक्त किया जाता है :-

**प्रधान जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश हेतु :-**

स. क्र.	अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश का नाम	सरल क्रमांक-2 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने	सरल क्रमांक-3 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले	सरल क्रमांक-4 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले
---------	-------------------------------------	--	---	---











- (14) **अपर सत्र न्यायाधीश, गरियाबंद (छ.ग.)** के अवकाश पर होने या अन्य कारण से अनुपस्थित होने पर उनका अत्यावश्यक कार्य गरियाबंद स्थित अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एवं बलात्कार से संबंधित मामले) के द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में मुख्यालय रायपुर में स्थित वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा संपादित किया जायेगा ।
- (15) अन्य सिविल न्यायिक कार्य, जो इस आदेश में उल्लेखित नहीं हों, या जिनके संबंध में कोई व्यवस्था न हो, वे कार्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के समक्ष अग्रिम आदेश हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे ।
- (16) यदि कोई अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आवेदन किसी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा जमानत याचिका अंतरित करने पर निराकृत किया गया हो और बाद में उसी अपराध से संबंधित अभियुक्त/अन्य अभियुक्त का पश्चातवर्ती जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अनुपस्थित होने पर उक्त जमानत आवेदन पूर्व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को अंतरित/सुपुर्द किये जाने हेतु पृथक से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी तथा ऐसा आवेदन संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को विधिवत निराकरण हेतु सत्र न्यायाधीश के प्रस्तुतकार द्वारा प्रेषित किया जाएगा ।
- (17) पूर्व में जिला न्यायाधीश के न्यायालयों के रिक्त होने से कार्य व्यवस्था में रिक्त न्यायालयों का कार्य अन्य न्यायालय द्वारा देखा जा रहा था, परन्तु वर्तमान में जिन जिला न्यायाधीशों के रिक्त न्यायालयों में पद स्थापना की जा चुकी है, तो उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन या एम.जे.सी., जो किसी भी न्यायालय में लंबित हो, उन प्रकरणों को उन न्यायालयों में प्रेषित किया जाए, जहाँ पद स्थापना हो चुकी है ।
- (18) पूर्व में जिन व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कनिष्ठ श्रेणी एवं उनके अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालयों के रिक्त होने से कार्य व्यवस्था में रिक्त न्यायालयों का कार्य अन्य न्यायालय द्वारा देखा जा रहा था, परन्तु वर्तमान में जिन व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कनिष्ठ श्रेणी एवं उनके अतिरिक्त न्यायाधीश के रिक्त न्यायालयों में पद स्थापना की जा चुकी है, तो उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन या एम.जे.सी., जो किसी भी न्यायालय में लंबित हो, उन प्रकरणों को उन न्यायालयों में प्रेषित किया जाए, जहाँ पद स्थापना हो चुकी है ।
- (19) यदि किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण हो जाता है तो उसके पद उत्तरवर्ती के द्वारा इस कार्य वितरण आदेश में निर्देशित व्यवस्था के अनुसार उसके पूर्ववर्ती न्यायिक अधिकारी को सौंपे गये न्यायिक कार्य का संपादन किया जाएगा, जिसके लिये कार्य वितरण आदेश में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी ।
- (20) यदि किसी प्रकरणों के संज्ञान या विचारण हेतु राज्य शासन/केन्द्र शासन/माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय की अधिसूचना के द्वारा किसी न्यायाधीश को सशक्त किया जाना आवश्यक है तो ऐसे मामलों की सुनवाई, अधिसूचना द्वारा सशक्त किये जाने के पश्चात् उक्त न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये इस कार्य वितरण आदेश में पृथक से व्यवस्था आवश्यक नहीं होगी ।
- (21) यदि इस कार्य वितरण आदेश के किसी प्रावधान के संबंध में व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न हो, तो उसे जिला न्यायाधीश को मार्गदर्शन हेतु संदर्भित किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा ।
- (22) **विशेष न्यायाधीशों (एट्रोसिटीज न्यायालय को छोड़कर)** के अवकाश में होने, स्थानांतरित हो जाने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर, कार्यविभाजन आदेश में अन्य व्यवस्था न होने की स्थिति में उनका अत्यावश्यक कार्य वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, जो मुख्यालय रायपुर में उपस्थित हों, के द्वारा निष्पादित किया जावेगा ।

सही/—

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 04 जनवरी, 2025

पृष्ठांकन क्रमांक 58/एक-2-1/2008

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. प्रस्तुतकार, न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)
3. विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई./एट्रोसिटीज), रायपुर (छ.ग.)
4. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट), रायपुर (छ.ग.)
5. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय, रायपुर/गरियाबंद
6. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गरियाबंद (छ.ग.)
7. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/नवम/दशम/एकादश/द्वादश/चतुर्दश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)
8. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पंचम/सप्तम/अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी रायपुर/गरियाबंद
9. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के प्रथम/तृतीय/चतुर्थ अति. न्यायाधीश, रायपुर ।
10. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, रायपुर के अति. न्यायाधीश स्थान तिल्दा/राजिम ।

11. प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम / षष्ठम / सप्तम / अष्टम / नवम् / दशम / एकादश / द्वादश / त्रयोदश / चतुर्दश / पंचदश / षष्ठदश / सप्तदश / अष्टदश / नवदश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी रायपुर / तिल्दा / आरंग / गरियाबंद / राजिम / देवभोग (छ.ग.)
  12. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम / षष्ठम / सप्तम / अष्टम / नवम् / दशम / एकादश / द्वादश / त्रयोदश / चतुर्दश अति. न्यायाधीश रायपुर (छ.ग.)
  13. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, रायपुर / गरियाबंद (छ.ग.)
  14. सभापति, स्थायी जनोपयोगी लोक अदालत, रायपुर (छ.ग.)
  15. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)
  16. प्रभारी अधिकारी, लेखा / नजारत / अभिलेखागार / प्रतिलिपि / कम्प्यूटर अनुभाग, रायपुर (छ.ग.)
  17. कार्यालय शासकीय अभिभाषक / कार्यालय उप-संचालक लोक अभियोजन, रायपुर (छ.ग.)
  18. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, रायपुर / गरियाबंद / तिल्दा / राजिम / देवभोग (छ.ग.)
  19. वरिष्ठ कोर्ट मैनेजर, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)
  20. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)
  21. न्यायालय उपाधीक्षक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)
  22. लेखापाल / सहायक लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही / -

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायपुर (छ.ग.)